## -:प्रेस नोट:-

दिनांक- 22.05.2025

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **अपर पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा में पुलिस लाइन नवीन सभागार में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) के तत्वाधान में बाल भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी आदि की रोकथाम के संबंध में की गयी मासिक समीक्षा बैठक।**
- **बैठक में बाल आत्महत्या/बाल शोषण की रोकथाम हेतु निरन्तर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किये जाने के संबंध में दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश।**

**विवरण**- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में बाल भिक्षावृत्ति/बालश्रम की रोकथाम, किशोर न्याय संरक्षण, बाल विवाह की रोकथाम आदि हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज द्वारा में पुलिस लाइन बांदा नवीन सभागार में विशेष किशोर पुलिस इकाई जनपद बांदा के तत्वाधान में मासिक समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा जिसमें बाल भिक्षावृत्ति एवं बाल अपराधों की रोकथाम हेतु लोगों को जागरुक करने तथा बालश्रम व बाल आत्महत्या पर रोक लगाये जाने के संबंध में ग्रामीण व शहर क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जागरुकता कार्यक्रमों को चलाये जाने एवं व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पुलिस व अन्य सरकारी/गैर-सरकारी संस्थाओं को परस्पर आपसी सहयोग के संबंध मे भी दिशा निर्देश दिए गये। इस दौरान बाल भिक्षावृत्ति, बाल अपराधों, बाल आत्महत्या, बाल विवाह आदि की रोकथाम हेतु व्यापक जागरुकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए। मानव तस्करी निरोधी इकाई (Anti-Human Trafficking Unit-AHTU) व विशेष किशोर पुलिस इकाई (Special Juvenile Police Unit-SJPU) को किशोर न्याय संरक्षण के संबंध में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जागरुकता कार्यक्रमों को चलाने जाने हेतु निर्देशित किया गया | समीक्षा बैठक दौरान क्षेत्राधिकारी नरैनी श्रीमती अंबुजा त्रिवेदी सहित अभियोजन कार्यालय, बाल कल्याण समिति, बाल संरक्षण विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन बांदा, समस्त थानों के बाल कल्याण पुलिस अधीकारी, जीआरपी, एएचटीयू, एसजेपीयू, वन स्टॉप सेन्टर, साथी उत्तर प्रदेश संस्था तथा ग्रामीण स्वावलंबन समिति के सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे।